न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 75/2021 निर्णय दिनांकः 8-12-25
(जीसीएमएस संख्या 2021/123)

1. मनोहरी पत्नी श्री मनफुलराम जाति जाट निवासी ग्राम नाहरवाली तहसील अनुपगढ़ जिला गंगानगर।

–अपीलांट्

–बनाम–

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 31–12–2007
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–
1. श्री प्रहलाद जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 31–12–2007 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा मोहरबंद आवंटन में आवंटन करवाने हेतु तहसील कोलायत नम्बर 2 के चक 28 एम.जी.एम. के मुरब्बा नम्बर 123/47 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ प्रस्तुत किये गये थे तथा धरोहर राशि भी खजानाराज में जमा करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांट को कोई नोटिस नही दिया गया और ना ही किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह लिख कर अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया कि वाछित रकबा रकबाराज नही होने से खारिज। धरोहर राशि रिफण्ड। जो कतई गलत एवं गैर कानूनी है। क्योकि उक्त रकबा राजपत्र में प्रकाशित था तथा आवंटन अधिकारी ने आवेदन के साथ धरोहर राशि इसलिए ही जमा करवाई थी कि उक्त रकबा आवंटन के लिए उपलब्ध था तो फिर रकबा राज नही है यह कारण मानने योग्य नही है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। आरआरटी 2014–15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण बतौर विशेष आवंटन हेतु चक 28 एम जी एम के मुरब्बा नम्बर 123/47 की तादादी 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ प्रस्तुत किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में अंकित किया है, अपीलांट का आवेदन वाछित मुरब्बा/रकबा रकबाराज नही होने से खारिज किया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन गजट में प्रकाशित रकबे के आधार पर किया गया था। इसमें अपीलांट की कोई गलती नही है। यदि किसी कारणवंश गजट में उक्त रकबे का गलत प्रकाशत हो गया और उक्त रकबा आवंटन हेतु उपलब्ध नही था तो अपीलांट को गजट में प्रकाशित अन्य भूमि के लिए आवेदन करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा मोहरबंद आवंटन में आवंटन करवाने हेतु सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ मुकाम बीकानेर के चक 28 एम.जी.एम. के मुरब्बा नम्बर 123/47 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ प्रस्तुत किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवेदन इस आधार पर खारिज किया गया है कि वाछित रकबा रकबाराज नही होने से खारिज। धरोहर राशि रिफण्ड।

इस बाबत् अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना या सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रेषित नही किया गया ना ही आदेशिका में नोटिस प्रेषित करने बाबत आदेश किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गजट नोटिफिकेशन की प्रति उपलब्ध नही है। इस स्थिति में इस न्यायालय द्वारा इस बिन्दू पर विनिश्चिय नही किया जा सकता कि प्रश्नगत रकबा गजट में विज्ञापित थी अथवा नही? परन्तु यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सूचित किये उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। यदि प्रश्नगत भूमि गजट में विज्ञापित नही थी तो अपीलांट को इस संबंध में अवगत करवाकर उसे अन्य भूमि हेतु आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाना था। अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने बहस इस बात पर जोर दिया गया कि प्रश्नगत भूमि गजट में प्रकाशित थी और अपीलांट का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवेदन बिना सुनवाई का अवसर दिये गलत रूप से खारिज किया गया है।

आरआरटी 2014–15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत में भी यह अभिधारित किया गया है कि **Application for special allotment was dismissed ex-parte without giving any notice- No opportunity of hearing given- Held, order set aside and the authority is directed to decide the application afresh.** उपरोक्त नजीर प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है।

6. उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण उपखण्ड़ अधिकारी, बज्जू को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस बिन्दू की जांच करे कि क्या चक 28 एम. जी. एम. के मुरब्बा नम्बर 123/47 मोहरबंद बोली हेतु गजट में विज्ञापित था अथवा नही? यदि यह रकबा दिनांक 31–12–2007 को मोहरबंद बोली हेतु गजट में विज्ञापित पाया जावे तो ऐसी स्थिति में गजट में प्रकाशित ऐसी भूमि जो वर्तमान में अराजीराज है, तथा अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं हो तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. निर्णय आज दिनांक 8-12-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर